85. 2 केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों में विभिन्न बोर्ड स्तरीय पदों के लिए अर्हता/अनुभव निर्धारित करना।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 फरवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 44011/8/2006 स्था. (ख) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन द्वारा सूचित किया गया है, नियुक्तियों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने निर्देश दिया है कि सभी मंत्रालयों को केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों में विभिन्न बोर्ड स्तरीय पदों के लिए भर्ती नियमों और अर्हता की समीक्षा/उनका अद्यतनीकरण करना चाहिए/उन्हें बनाना चाहिए। एसीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभाग से अनुरोध किया गया था कि वे लोक क्षेत्र उपक्रमों में बोर्ड स्तरीय पदों हेतु भर्ती नियमावली (आरआर) के अद्यतनीकरण/उन्हें अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई की सूचना दें और इस संबंध में स्थिति की रिपोर्ट 15.04.2009 तक डीपीई सहित कार्मिक एवं प्रशिक्षक विभाग को मुहैया कराना।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे एसीसी के दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु तत्काल कार्रवाई करें और इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट 15.04.2009 तक प्रस्तुत करें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(21)/2005–जीएम, दिनांक, 8 अप्रैल, 2009)

*****